

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/1110

दिनांक:- 02-03-2017

अतिरिक्त निदेशक,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग,
राज. जयपुर

विषय :- श्री बद्रीराम कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय
एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्र संख्या 17 दिनांक 06.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 14(88)एफडी/रूल्स/2008-I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार श्री बद्रीराम कनिष्ठ लेखाकार के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान के जन्म के कारण द्वितीय एसीपी देय होने की तिथि से 5 वर्ष तक आस्थगित रखने एवं परिनिन्दा दण्ड के फलस्वरूप 1 वर्ष और आस्थगित रखने की वजह से अभी द्वितीय एसीपी स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

भवदीय

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।

2. उपनिदेशक(एसीपी), विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)